Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Room No. 607, Block-11, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Dated:13.07.2018

Subject: Nomination of Non-Official Members to the State/District Level DISHA

The DISHA Committees constituted by the Ministry of Rural Development at State and District levels are expected to function as an important instrument for effective monitoring of implementation of Central Government Programmes. DISHA Guidelines provided for nomination of 4(Four) non- official members by the Ministry of Rural Development in both the State and District Level DISHA committees. The Guidelines of DISHA committees containing Terms of Reference. Composition, eligibility for non-official members, etc., are available on the website of the Ministry (https://rural.nic.in/disha).

Expression of Interest are invited from eminent person of the State/District from social academic or public fields having special knowledge or experience of social economic development in the State/district/region for nomination as non-official members. The membership of these committee are voluntary in nature and nominated members are paid TA/DA and daily allowance as mentioned in Guidelines for attending the meeting. Interested person may indicate his/her availability in the prescribed format (For nomination in State Level Committee may apply in FORMAT A and for nomination in District Level Committee may apply in FORMAT B by email or by post so as to reach this Ministry on or before 30th July, 2018, at the following address:

Shri S.S. Prasad
Under Secretary (Monitoring)
Ministry of Rural Development
Room No. 607, Block No.11
C.G.O. Complex, New Delhi – 110003
e-mail: ss[dot]prasad[dot]dord[at]nic[dot]in

C1256

FORMAT A

Application for nomination of Non-Officials to State Level DISHA Committees

In pursuant with para 10.1 of the State Level Committee guidelines the willingness on behalf of the eminent individual is solicited for nomination of non- official members to State Level DISHA Committee. Format on which information is to be furnished provided is provided below:

- 1. Full Name of the Eminent person:
- 2. Gender:
- 3. Date of Birth:
- 4. Category (SC/ST/OBC/Others):
- 5 Address for communication:

Affix passport size photograph

(Self attested)

- 6. Name of the State/UT where the applicant resides:
- 7. Name of the State/UT committee for which nomination sought:
- 8. Academic Qualification:
- 9. Areas of specialization:
- 10 Field of Experience:

(A one page note on experience in the field of social/academics/ public fields/ civil society organization need to be submitted along with the application)

11. Whether has been a Member of erstwhile State /District Level Vigilance & Monitoring committee/DISHA committee/ any other committee of the Central Government earlier? If so, give details.

It is certified that the information given above is TRUE to the best of my knowledge. I will be liable for any information given above which is later found to be FALSE.

Date

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग

> कमरा संख्या 607, ब्लॉक - 11, सीजीओ परिसर. लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दिनांक: 13-07-2018

विषय: जिला स्तरीय दिशा समितियों में गैर-आधिकारिक सदस्यों का नामांकन

केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य और जिला स्तर पर दिशा समितियों का गठनिकया गया है। दिशा समिति की मार्गदर्शिका में राज्य और जिला स्तरीय दिशा समितियों दोनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4 (चार) गैर-आधिकारिक सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है। दिशा समिति की मार्गदर्शिका जिसमें समिति की संरचना, विचारार्थ विषय, गैर-आधिकारिक सदस्यहेतु पात्रता इत्यादि मंत्रालय की वेबसाइट(https://rural.nic.in/disha) पर उपलब्ध हैं।

गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए राज्य / जिले के सामाजिक, शैक्षिक औरसार्वजनिकक्षेत्रों से सम्बंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जोकि राज्य/ जिले के सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र मेंविशेष ज्ञान या अनुभव रखते होंसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक प्रकृति कीहै और नामित सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए दिशानिर्देशों में उल्लिखित टीए / डीए और दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति अपनी उपलब्धता (राज्य स्तरीय समिति के लिए प्रारूप क व जिला स्तरीय समिति के लिए प्रारूप ख)ईमेल या पोस्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में 30 जुलाई, 2018 को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एस एस प्रसाद
अवर सचिव (निगरानी)
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कक्ष संख्या 607, ब्लॉक संख्या 11
C.G.O. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003
ई-मेल:ss[dot]prasad[dot]dord[at]nic[dot]in

हस्ता / -(एसएस प्रसाद) भारत सरकार के अवर सचिव

प्रारूप क

राज्य स्तरीय दिशा समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति

राज्य स्तरीय समिति दिशा-निर्देशों के पैरा 10.1 के अनुसरण, राज्य स्तरीय दिशा समिति के गैर-सरकारी सदस्य के नामांकनके लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति की सहमित मंगवाई जाती है। मुख्य अर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली अनुवीक्षण समिति में विचार किए जाने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में सूचना मंगवाई जाती है। राज्य स्तरीय दिशा दिशा समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन में अनुवीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

सूचना भरने के लिए प्रारूप

- 1. प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रा नाम :
- 2. लिंग :
- जनम तिथि :
- 4. श्रेणी (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अन्य):
- 5. पत्राचार का पता:
- 6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जहां पर आवेदक रहता है :
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समिति का नाम जिसके लिए नामांकन मांगा गया है:
- 8. शैक्षणिक योग्यता :
- 9. विशेषज्ञता का क्षेत्र :
- 10. अन्भव का क्षेत्र :

(सामाजिक/शैक्षणिक/सार्वजनिक क्षेत्र/सिविल सोसायटी संगठन के क्षेत्र में अनुभव से संबंधित एक पृष्ठ की टिप्पणी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है)

11. क्या पहले, पूर्ववर्ती राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति/दिशा समिति/या राज्य/केंद्र सरकार सरकार की अन्य किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समिति के सदस्य रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं ऊपर दी गई जानकारी को बाद में गलत पाए जाने पर उत्तरदायी होऊंगा।

दिनांकः

स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं

प्रारूप ख

जिला स्तरीय दिशा समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

के नामांकन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति की सहमित मंगवाई जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली अनुवीक्षण समिति में विचार किए जाने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में सूचना मंगवाई जाती है। जिला स्तरीय दिशा दिशा समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन में अनुवीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

सूचना भरने के लिए प्रारूप

- 1. प्रतिष्ठित व्यक्ति का पूरा नाम :
- 2. लिंग :
- 3. जनम तिथि :
- 4. श्रेणी (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अन्य):
- 5. पत्राचार का पता :
- 6. जिले का नाम जहां पर आवेदक रहता है :
- 7 जिला समिति का नाम जिसके लिए नामांकन मांगा गया है:
- शैक्षणिक योग्यता :
- 9. विशेषज्ञता का क्षेत्र :
- 10. अन्भव का क्षेत्र :

(सामाजिक/शैक्षणिक/सार्वजिनक क्षेत्र/सिविल सोसायटी संगठन के क्षेत्र में अनुभव से संबंधित एक पृष्ठ की टिप्पणी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है)

11. क्या पहले, पूर्ववर्ती राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति/दिशा समिति/या राज्य/केंद्र सरकार सरकार की अन्य किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समिति के सदस्य रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं ऊपर दी गई जानकारी को बाद में गलत पाए जाने पर उत्तरदायी होऊंगा।

दिनांकः

स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं